



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271109  
CG-DL-E-21032026-271109

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 70]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

मामला सं. एडी (ओआई) -11/2026

विषय: सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से 'फिनोल' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. **फा. सं. 6/12/2026-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" या "एडी नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड (डीपीसीएल) और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल लिमिटेड (एचओसीएल) (जिन्हें इसके बाद "आवेदकों" के रूप में कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) के समक्ष सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देशों" के रूप में कहा गया है) से "फिनोल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

2. विचाराधीन उत्पाद फिनोल है।
3. फिनोल एक एरोमैटिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रासायनिक सूत्र  $C_6H_6O$  है। फिनोल को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वाष्पशील, सफेद, क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी एक विशिष्ट मीठी, तारकोल जैसी गंध होती है।
4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत उप-शीर्ष 2907 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 29071110 और 29071190 के तहत किया जाता है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार, इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/ पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो प्रदान कर सकते हैं।
6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एम.टी.) या किलोग्राम (के.जी.) है।

**ख. समान वस्तु**

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयात की गई वस्तुएं, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और तकनीक, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे का स्थान ले सकती हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु हैं।

**ग. संबद्ध देश**

8. यह वर्तमान जांच, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

**घ. जांच की अवधि**

9. आवेदकों ने दिनांक 1 जनवरी 2025 से 30 सितंबर 2025 (9 माह की अवधि) के बीच की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक मानी है, जो कि 12 माह की अवधि है। क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल हैं।

**ड. घरेलू उद्योग और स्थिति**

10. यह आवेदन दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड (डीपीसीएल) और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, आईओएन ग्रुप विचाराधीन उत्पाद का एक और उत्पादक है, लेकिन यह बताया गया है कि इस उत्पादक ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन नहीं किया है।
11. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीपीसीएल ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को कम मात्रा में आयात किया है। डीपीसीएल द्वारा की गई आयात की मात्रा नगण्य है, जो कुल आयात का 7% से कम और आवेदक के कुल उत्पादन का 5% से कम है।
12. आवेदकों ने यह बताया है कि उनका न तो संबद्ध देशों में किसी निर्यातक से कोई संबंध है और न ही भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंध है।
13. इसे देखते हुए, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग का हिस्सा बनते हैं। यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

**च. कथित पाटन का आधार****क. सामान्य मूल्य**

14. आवेदकों ने संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदकों ने आईसीआईएस बुलेटिन पर आधारित जानकारी दी है। आवेदकों ने यह प्रस्ताव दिया है कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य इन कीमतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए। चूंकि आईसीआईएस कीमतें सीएफआर

कीमतें हैं, इसलिए कारखाना बाह्य कीमतें निर्धारित करने के लिए सीएफआर कीमतों में आवश्यक समायोजन किए गए हैं। जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य आवेदकों द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है।

15. आवेदकों ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया जो दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोग मूल्य पर आधारित हो। आवेदकों ने प्रायः फ्रेनॉल कीमतों Q2 2025: मूल्य विश्लेषण, प्रमुख मूल्य रुझान और पूर्वानुमान दृष्टिकोण के बारे में प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रमाण प्रदान किया है।
16. प्रारंभिक कार्रवाई के उद्देश्य से, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य उस उत्पाद के उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित बनायी गई है, जिसमें उचित लाभ जोड़कर।

#### ख. निर्यात कीमत

17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स डेटा में सूचित की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। इसमें समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग शुल्क, बंदरगाह हैंडलिंग शुल्क, कमीशन, क्रेडिट लागत और वस्तुसूची रखने की लागत के लिए समायोजन किए गए हैं।

#### ग. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना 'कारखाना बाह्य' स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन 'डी-मिनिमिस' स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में यह काफी महत्वपूर्ण है। अतः, प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य मौजूद है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा, संबद्ध देशों से आने वाले विचाराधीन उत्पाद का भारतीय बाज़ार में पाटन किया जा रहा है।

#### घ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदकों ने पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष, दोनों ही संदर्भ में वृद्धि हुई है। आयातों की कीमत लागत के अनुरूप नहीं बदली है। इसके परिणामस्वरूप, आवेदकों को लागत में आनुपातिक कमी के बिना ही अपनी कीमतें कम करने के लिए विवश होना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आई है। उत्पादन प्रक्रिया की बाध्यताओं के कारण आवेदकों को मात्रा के संदर्भ में कोई क्षति नहीं पहुंची है। पाटित किए गए आयातों का प्रतिकूल प्रभाव केवल कीमतों के मापदंडों पर ही महसूस किया गया है। जांच की अवधि के दौरान आवेदकों के लाभ में भारी गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हानि का सामना करना पड़ा है। आवेदकों को नकदी हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है। देश में मांग और आपूर्ति के बीच एक अंतर मौजूद है, जिसमें निवेश की संभावना है। तथापि, इस हानि को देखते हुए इस व्यवसाय में किसी भी प्रकार के निवेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
20. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया यह पाया है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे नियमावली के नियम 5 के तहत एक पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराया जा सकता है, जिसका उद्देश्य कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी सीमा और उसके प्रभाव को निर्धारित करना तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करना है, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### ज. जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से समर्थित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, जो कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि करते हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं। इस जांच का उद्देश्य कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी सीमा और उसके प्रभाव को निर्धारित करना है तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करना है, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### झ. प्रक्रिया

22. इस जांच में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

#### ञ. सूचना की प्रस्तुति

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए जाने वाले सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और संबद्ध मामले: **एडी/ओआई/012/2026** के अंतर्गत अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सल प्रारूप में हों।
24. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, तथा भारत में उन आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिनका विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध होना ज्ञात है, अलग से सूचित किया जा रहा है; ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी उसी प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए, जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित किया गया है।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रारूप और तरीके से, तथा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध दे सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्षकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उसी प्रस्तुति का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए।
27. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में होने वाले आगामी घटनाक्रमों से अवगत रहने के लिए, तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/ बैठक की समय अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी ही अन्य जानकारियों के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों की जानकारी प्राप्त करने हेतु, डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से नज़र रखें।

#### ट. समय सीमा

28. इस मौजूदा जांच से संबंधित कोई भी जानकारी सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले: **एडी/ओआई/012/2026** के तहत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी) को संबंधित निर्धारित कॉलम में, उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर, केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।
30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दाखिल करने के लिए 15 दिनों की अवधि, इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपरोक्त पैरा 27 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
31. पीयूसी/ पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की किसी सूचना के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन में संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार, संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में उल्लेख किया गया 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है, जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं होता है। इस 15 दिनों के समय विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) के अलावा अधिक समय विस्तार के लिए अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
32. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध, संबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से, उपरोक्त पैरा 27 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति**

33. जहां इस जांच में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो उस पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुरूप, ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ भी साथ ही प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
34. जो पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (जिसमें उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक भी शामिल हैं) करते हैं, जिसमें प्रश्नावली के उत्तर भी शामिल हैं, तो उन्हें गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करना आवश्यक है।
35. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकित होना चाहिए। प्राधिकारी को किया गया कोई भी अनुरोध जिस पर ऐसा अंकन नहीं है, उसे प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" जानकारी माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का अधिकार होगा।
36. गोपनीय पाठ में वह समस्त जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ अथवा ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी, जिसके लिए ऐसी जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस जानकारी के बारे में गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उस जानकारी के प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ एक उचित कारण विवरण भी देना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की ही एक प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः सूचीबद्ध किया गया हो या हटा दिया गया हो (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो), और ऐसी जानकारी को, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए।
38. अगोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के मूल तत्व की उचित समझ बन सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश बनाना संभव नहीं है; ऐसे में, नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिसों के अनुरूप, कारणों का एक विवरण जिसमें कि पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। 39. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के वितरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर, घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए दावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने के बाद, गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, या यदि जानकारी प्रदान करने वाला पक्षकार या तो जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है, अथवा उसे सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं करना चाहता है, तो प्राधिकारी ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकते हैं।
41. कोई भी ऐसा अनुरोध, जिसके साथ में उसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ संलग्न न हो, अथवा नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में कोई पर्याप्त और उचित कारण का विवरण प्रस्तुत न किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा।
42. प्राधिकारी, प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना, उसे किसी भी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

**ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण**

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

**ढ. असहयोग**

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई आगे की समय अवधि के भीतर जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और साथ ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2026

**Case No. AD(OI) – 11/2026****Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Phenol” from Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand and United States of America.**

1. **F. No. 6/12/2026 – DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-dumping Duty Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Deepak Phenolics Limited (DPCL) and Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOCL) (hereinafter referred to as “applicants”), have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of “Phenol” from Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand and United States of America (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)**

2. The product under consideration is Phenol.
3. Phenol is an aromatic compound. The chemical formula of this organic compound is C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>O. Phenol is also known as Carboic acid. It is a volatile, white, crystalline solid with a distinct sweet, tar-like odor.
4. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2907. The product under consideration is imported under 29071110 and 29071190. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
5. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.
6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tons (MT) or Kilogram (Kg).

**B. LIKE ARTICLE**

7. The applicants have claimed that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicants and exported from the subject countries. Subject goods produced by the applicants and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The product produced by the applicants are like article to the product being imported from the subject countries.

**C. SUBJECT COUNTRIES**

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand and United States of America.

**D. PERIOD OF INVESTIGATION**

9. The applicants have proposed the period between 1st January 2025 to 30th September 2025 (a period of 9 months) as period of investigation. However, the Authority has considered period of investigation from 1<sup>st</sup> January 2025 to 31<sup>st</sup> December 2025, which is a 12-month period. The injury period covers the period of 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

**E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

10. The application has been filed by Deepak Phenolics Limited (DPCL) and Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOCL). Apart from applicants, ION Group is another producer of the product under consideration, but it has been stated that the producer has not produced in the injury period.
11. On the basis of the information furnished, the Authority notes that DPCL has imported small quantity of the product under consideration from subject countries during the period of investigation. The imports made by DPCL are insignificant in volume constituting less than 7% of total imports, and, less than 5% of total production of the Applicant.

12. The applicants have stated that they are neither related to any exporter in the subject countries nor to importer of the subject goods in India.
13. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

#### **F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**

##### **a. Normal Value**

14. The applicants have claimed normal value based on prices prevailing in the domestic market in the subject countries. The applicants have provided information based on ICIS bulletin. The applicants have proposed that the normal value for Singapore, South Korea, Taiwan, and Thailand to be determined considering these prices. The ICIS prices being CFR prices, relevant adjustments have been made to the CFR prices to determine ex-factory prices. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based on the methodology proposed by the applicants.
15. The applicants proposed to determine the normal value based on the consumption price in South Africa, Saudi Arabia and United States of America. The applicants have provided evidence in the form of press release on Phenol Prices Q2 2025: Price Analysis, Key Price Trends & Forecast Outlook.
16. For the purpose of initiation, the normal value for South Africa, Saudi Arabia and United States of America has been constructed based on the best estimates of cost of production of the product under consideration with reasonable addition for profit.

##### **b. Export Price**

17. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, handling charges, port handling charges, commission, credit cost and inventory carrying cost.

##### **c. Dumping margin**

18. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

#### **G. INJURY AND CAUSAL LINK.**

19. The applicants have provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in both absolute as well as relative terms. The import price has not moved in line with the cost. As a result, the applicants have reduced their prices without proportionate decline in the cost. This has resulted in price depression. The applicants have not suffered volume injury because of the compulsions of the production process. The adverse effect of the dumped imports has been felt only on price parameters. The applicants have suffered steep decline in profits resulting into losses in the period of investigation. The applicants have suffered cash losses, negative return on capital employed. There is a demand and supply gap in the country with a scope for investment. However, the losses do not justify any investment in the business.
20. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

#### **H. INITIATION OF THE INVESTIGATION**

21. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **I. PROCEDURE.**

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the anti-dumping rules shall be followed in this investigation.

**J. SUBMISSION OF INFORMATION.**

23. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded onto the SETU portal under their registered name and corresponding case **AD/OI/012/2026**. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
24. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal(<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

**K. TIME LIMIT**

28. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case **AD/OI/012/2026**. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
30. The 15 day period to file comments on the scope of PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 27 above of this initiation Notification.
31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for further extension of time beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with Rule 7(4) of the AD Rules.
32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 27 above. Requests submitted after this time will not be considered.

**L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

34. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
35. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
42. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**N. NON-COOPERATION**

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequent time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority